अमरीका में बंदूक सम्बंधी शोध पर प्रतिबंध

यूएसए वह देश है जहां के लोग किसी भी अन्य अमीर देश की तुलना में एक-दूसरे पर 20 गुना अधिक गोलियां चलाते हैं। इसे एक महामारी ही माना जाना चाहिए। और यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऐसा मानता भी है। मगर यूएस का कानून बंदूकों के उपयोग सम्बंधी किसी भी अनुसंधान की अनुमति नहीं देता।

हाल ही में कनेक्टिकट प्रांत के न्यूटाउन स्थित एक स्कूल में किसी व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 20 बच्चों और स्टाफ सदस्यों की हत्या कर दी थी। इससे पहले एक सिनेमा घर में 12 लोग मारे गए थे। ऐसी घटनाओं और आम तौर पर बंदूकों के इस्तेमाल को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसके विभिन्न पहलुओं पर शोध करना चाहता है और ऐसा शोध शायद नीति निर्माण के लिए भी ज़रूरी होगा।

दरअसल यूएस का नेशनल राइफल एसोसिएशन संसद में अपने समर्थकों के दम पर लगातार इस तरह के अनुसंधान पर रोक लगवाता रहा है। जैसे 1996 में पारित शस्त्र कानून में कहा गया था कि सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल 'बंदूक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए वकालत' करने पर कोई धन खर्च नहीं करेगा।

हालत यह है कि 1994 के बाद से यूएस में इस बात की कोई व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध नहीं है कि व्यक्तियों ने कितनी बंदूके एक-दूसरे को बेची हैं। इसी प्रकार से 2004 के बाद से सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने व्यवहारगत जोखिमों से सम्बंधित प्रश्नावली में आग्नेयास्त्र से सम्बंधित कोई सवाल शामिल नहीं किया है। शोध पत्रिकाओं में आग्नेयास्त्र आधारित हिंसा को लेकर प्रकाशित शोध पत्रों में 60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अब हुआ यह है कि 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक अध्ययन प्रायोजित किया था जिसका निष्कर्ष था कि हमलों के दौरान बंदूक से बंदूकधारी की रक्षा नहीं हो पाती। वैसे इस अध्ययन में पद्धति की समस्याएं थीं मगर नेशनल राइफल एसोसिएशन इससे बहुत नाराज़ हुआ और उसके दबाव में ओबामा प्रशासन ने बंदूक सम्बंधी शोध पर प्रतिबंध को जारी रखा है। वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारियों का मत है कि यदि इस प्रतिबंध को शब्दशः देखा जाए, तो यह शोध पर रोक नहीं लगाता है। यह तो सिर्फ बंदूकों पर नियंत्रण की 'वकालत' पर रोक लगाता है।

यूएस में अब यह मामला तूल पकड़ रहा है कि आग्नेयास्त्र सम्बंधी नीतियों के लिए शोध के सहारे की ज़रूरत है। देखना है कि क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उक्त प्रतिबंध के बावजूद शोध कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***